

IAJESM SPONSORED NATIONAL SEMINAR
ON
ESSENTIAL OF LITERATURE REVIEW AND RESEARCH METHODOLOGY
20 JUNE 2021

वैदिक काल में स्मृतियों का स्वरूप: एक कानून संहिता के रूप में

Rajkumar, Assistant Professor, Department of History, Seth G.L. Bihani S.D. Post Graduate, Sri Ganganagar

सारांश

भारतीय विधि एवं सामाजिक चिंतन के इतिहास में स्मृतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक परंपरा से विकसित स्मृति-साहित्य ने धर्म, आचार, व्यवहार, सामाजिक दायित्व तथा न्याय संबंधी सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य वैदिक कालीन विधि-परंपरा के संदर्भ में स्मृतियों के स्वरूप तथा उनके कानून-संहिता संबंधी पक्ष का विश्लेषण करना है। स्मृतियों में व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों, परिवार व्यवस्था, विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति, ऋण, दंड, अपराध, न्याय-प्रक्रिया तथा राजा के कर्तव्यों से संबंधित अनेक नियमों का उल्लेख मिलता है। इनमें धर्म और विधि का संबंध अत्यंत घनिष्ठ दिखाई देता है, जिसके कारण सामाजिक एवं नैतिक आचरण भी विधिक व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा नारदस्मृति जैसे ग्रंथों ने भारतीय विधि-चिंतन के विकास को प्रभावित किया और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप नियमों एवं व्यवहार-मानदंडों को प्रस्तुत किया। यद्यपि आधुनिक अर्थ में इन्हें संहिताबद्ध राज्य-कानून के समान मानना उचित नहीं है, तथापि इनके माध्यम से तत्कालीन समाज की विधिक चेतना, सामाजिक संरचना और न्याय संबंधी धारणाओं को समझा जा सकता है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि स्मृतियाँ केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थीं, बल्कि उन्होंने सामाजिक अनुशासन, नैतिक दायित्व और न्यायिक व्यवस्था के लिए व्यापक मानदंड निर्मित किए। इस प्रकार स्मृति-साहित्य भारतीय विधि परंपरा और प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है।

मुख्य शब्द: वैदिक काल, स्मृति साहित्य, विधि संहिता, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति, प्राचीन भारतीय विधि, न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था।

